तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/8/25	वकील प्रार्थी उप०। बहस प्रा०पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 21/8/25 को पेश हो।
21/8/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई है। प्रा०पत्र प्रार्थिया स्वीकार कर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
369/प्रा0पत्र/2025	27.05.2025	29.08.2025

रितिका निझावन आयू 42 वर्ष पत्नी कमल निझावन जाति पंजाबी निवासी 1-पी-14 तलवण्डी कोटा तहसील लाडपूरा जिला कोटा, राजस्थान।

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता प्रार्थियाः- श्री ग्यारसीलाल गुर्जर

अधिवक्ता अप्रार्थीः- पेरोकार सरकार

- : : निर्णय : : -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता संख्या नई 261 पुराना 189 खसरा संख्या 771/614 रकबा 0.4856 हैक्टेयर किस्म नहरी द्वितीय वाके ग्राम नयाबरधा पटवार हल्का कैथूदा भू. अभिलेख क्षेत्र बल्लोप तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान मे विस्थित है। प्रार्थीया की उक्त भूमि की सीमाओं से सम्बन्धित विवाद है तथा ऐसी सीमा सम्बंधित विवादों का विनिश्चय के लिए लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 111 एवं 128 मे व्यवस्था की गई है जिसके तहत सीमाओं के संबंध मे किसी विवाद की दशा मे भूमि अभिलेख अधिकारी जहां तक सम्भव हो विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर या ऐसे नक्शे उपलब्ध ना हो तो वहां वास्तविक कब्जे के आधार पर करेगा। साथ ही मे भूमि अभिलेख अधिकारी संक्षेप जांच करके यह सुनिश्चित करेगा कि कौनसा पक्षकार कब्जे का सर्वोत्तम हकदार है। और तब तदनुसार सीना निश्चित करेगा। प्रार्थीया के द्वारा तहसीलदार साहब तालेड़ा को सीमाज्ञान बाबत आवेदन किया गया था परन्तु प्रार्थीया उक्त सीमाज्ञान से संतुष्ठ नहीं है इसलिए प्रार्थीया माननीय न्यायालय से लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 111, 128 के तहत प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि का सर्वेक्षण (पत्थरगड़ी) करवाना चाहती हैं जिसके लिए अप्रार्थी को आदेशित किया जाना न्यायहित मे अति आवश्यक है। साथ ही में प्रार्थीया वैकल्पिक रूप से जी. पी. एस. टेक्नोलोजी से भी भूमि का नाम कराने को तैयार है। जिसका खर्चा भी नियमानुसार अदा करने को तैयार है। यह कि भूमि की वास्तविक सर्वेक्षण के अभाव मे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भूमि का उपरोक्त अनुसार सर्वेक्षण कराना अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित फरमावे कि प्रार्थिया के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता संख्या नई 261 पूराना 189 खसरा संख्या 771/614 रकबा 0.4856 हैक्टेयर किस्म नहरी द्वितीय वाके ग्राम नयाबरधा पटवार हल्का कैथूदा भू. अभिलेख क्षैत्र बल्लोप तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान का सर्वेक्षण जी.पी.एस. टेक्नोलोजी अथवा पत्थरगड़ी से सर्वेक्षण किया जावे तथा सीमा चिन्ह निर्धारित किया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 4075 दिनांक 18.07.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होना एवं भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार होना अंकित किया गया कि जीपीएस मशीन द्वारा प्रार्थिया के पति कमल निझावन की उपस्थित में निर्धारित बिन्दुओ से उक्त भूमि की चहु दिशाओ का सीमाज्ञान कराया, जिसमें प्रार्थिया की भूमि आप-पास के खेतो में दबी हुई पायी गई। इसलिए प्रार्थिया उक्त सीमाज्ञान से सन्तुष्ट नही है एवं पूर्ण सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहती है।

Scanned with OKEN Scanner

साक्ष्य में प्रार्थी की और से नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या पुरानी 189 नया 261 की खसरा संख्या 771/614 रकबा 0.4856 हैक्टेयर वाके ग्राम नयाबरधा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी राजस्थान संवत् 2076 की प्रति की प्रति एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 06.05.2025 पेश की।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न साक्ष्य दस्तावेज नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या पुरानी 189 नया 261 की खसरा संख्या 771/614 रकबा 0.4856 हैक्टेयर वाके ग्राम नयाबरधा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 में रितिका निझावन पत्नि कमल निझावन जाति पंजाबी सा. 1-पी-14 तलवण्डी कोटा खातेदार दर्ज रिकार्ड है जो कि प्रार्थिया की खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थी को नियमानुसार पत्थर गढी करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

आदेश

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थिया से नियमानुसार पत्थरगढी का शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थिया की उपस्थिति में विवादित खतौनी संख्या पुरानी 189 नया 261 की खसरा संख्या 771/614 रकबा 0.4856 हैक्टेयर वाके ग्राम नयाबरधा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 की पत्थरगढी की जावे। वाद वर्णित् आराजी पर यदि किसी न्यायालय में स्थगन अथवा भूमि विवादित हो तो नियमानुसार कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner